BUSINESS STANDARD HINDI, Delhi, 2.4.2018
Page No. 12, Size:(10.72)cms X (41.86)cms.

बीएस बातचीत

डेटा का दुरुपयोग रोकने के कानून में पर्याप्त प्रावधान : प्रसाद

हाल के हफ्तों में लंदन की कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक के डेटा का चुनावों को प्रभावित करने में दुरुपयोग को लेकर विवाद रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री **रवि शंकर प्रसाद** ने डेटा के दुरुपयोग को लेकर सरकार के नजरिये पर **किरण राठी** के साथ बात की। बातचीत के अंश :

डेटा (सूचनाओं) का दुरुपयोग किया जा सकता है और हाल में ऐसा देखा भी गया। डिजिटलीकरण बढ़ने के साथ इस दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ा है?

हमें डिजिटल इंडिया अभियान पर बहुत गर्व है। देश के 1.3 अरब लोगों में से 1.21 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, 1.2 अरब लोगों के पास आधार कार्ड हैं, 50 करोड़ इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और ई-कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतानों में बढ़ोतरी से भारत एक बड़े डिजिटल बाजार के रूप में उभर रहा है। घरेलू स्तर पर विकसित तकनीक डिजिटल इंडिया का एक अच्छा नतीजा है। सरकार ने डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर 830 अरब रुपये बचाए हैं। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा महत्त्वपूर्ण है। फेसबुक के भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। यहां ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सऐप भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी सरकार डेटा की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है।

> डेटा सुरक्षा से जुड़ी समस्या से ऐसे निपटा जाए कि सूचनाओं का आदान-प्रदान और भारत का डिजिटल विकास अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो पाए

डेटा बढ़ने के साथ इसकी सुरक्षा जरूरी है। इसका क्या उपाय है?

डेटा सुरक्षा दरअसल डेटा की उपलब्धता, डेटा के उपयोग, डेटा के नवप्रवर्तन, डेटा की गोपनीयता और डेटा की निजता से संबंधित है। किसी भी भारतीय या किसी अन्य व्यक्ति की अहम सूचनाओं की सुरक्षा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य का ब्योरा, आय, व्यक्तिगत या परिवार का ब्योरा, बैंक खाता और लैंगिक पसंद निजी चीजें हैं और इनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।

आप कहते हैं कि बैंक खाता निजी है, लेकिन आधार से जुड़ने के बाद इसका ब्योरा सार्वजनिक भी हो सकता है?

बैंक खाते से मेरा मतलब बैंक की जानकारियों से है। बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत नियमों को बदला गया है। हालांकि बैंक खाते की राशि जैसी जानकारियां किसी को सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं।

डेटा सुरक्षा कानून कब तक बनेगा?

बी एन श्रीकृष्ण समिति इस रिपोर्ट पर काम कर रही है। यह रिपोर्ट एक व्यापक कानून होगी। हमने आधार अधिनियम बनाया है। संप्रग (पूर्ववर्ती सरकार) का आधार बिना कानून का था। मोदीजी का आधार कानून पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा के पुख्ता प्रावधान किए गए हैं। डेटा महत्त्वपूर्ण है और कोई भी डिजिटल संपर्क किसी न किसी तरह का डेटा पैदा करता है। हमें यह सत्य स्वीकार करना होगा। डेटा अध्ययन और सूचना के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसकी गोपनीयता बरकरार रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत डेटा विश्लेषण का केंद्र बने और हमारे युवा यह काम करें। हालांकि डेटा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

डेटा, विशेष रूप से सोशल मीडिया के डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से कहा है कि वे गाली-गलौज, नफरत, अपराध और आतंकवाद के मंच नहीं बनने चाहिए। ट्विटर के एक वरिष्ठ अधिकारी हाल में मुझसे मिले थे और मैंने उनसे कहा कि चुनावी अभियानों के दौरान ट्विटर का ट्रोल या गाली-गलौज में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर सामाजिक संवाद की आजादी की पक्षधर है। लेकिन संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

डेटा दुरुपयोग करने वाली कंपनियों के खिलाफ किन नियमों के तहत कार्रवाई होगी?

संप्रभु देश में लोगों का भरोसा होता है। सूचनाओं और संवेदनशील ब्योरों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून में प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता भी है।

आपने फेसबुक को नोटिस भेजा है, पर कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए कब तक बुलाने के आसार हैं?

मैं आगे की कार्रवाई से पहले उनके जवाब का इंतजार करूंगा।

फर्जी खबरें फैलाने में व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस पर कैसे अंकुश लगाएंगे?

भारत व्हाट्सऐप का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इसे प्रत्येक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मैं इसके दुरुपयोग को लेकर चिंतित हूं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी से समझौता किए बिना एक सामूहिक फैसला लेने की जरूरत है। ओटीटी ऐप्स भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के क्षेत्राधिकार से बाहर नही हैं। हालांकि इन ऐप से संबंधित नियम नहीं हैं, लेकिन उन पर ट्राई के नियम लागू होते हैं। व्हाट्सऐप के ऑपरेटरों को चौकस रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न किया जाए। अगर मैं 50 लाख युवा लोगों तक पहुंचने के लिए फेसबुक पर कोई संदेश देता हूं तो इसमें क्या गलत है? हालांकि सोशल मीडिया पर अवैध तरीकों से चुनावों को प्रभावित करने की मंजूरी नहीं मिल सकती।

अगर कोई व्यक्ति फर्जी खबरें फैलाने के लिए व्हाट्सऐप का दुरुपयोग करता है तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी?

व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग पर आईटी अधिनियम और दंड संहिता के तहत कड़ी सजा दी जा सकती है। इस समस्या से ऐसे निपटा जाए कि सूचनाओं का आदान-प्रदान और भारत का डिजिटल विकास अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो, लेकिन डेटा भी सुरक्षित बना रहे।